

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजेंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी-V
2. हरियाली का घनत्व-0.1 से कम
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0-657000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-0.4025
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-264442.50 या 264443.00

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,  
सहिया

उप-प्रभारी वन अधिकारी  
चकराता वन प्रभाग  
कालसी

अधिशायी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,  
सहिया

प्रभागीय वनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग  
देहरादून

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,  
सहिया

  
अधिरासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,  
सहिया